पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24 / 2006 / 818 / आ0प्र0

फैक्स / ई–मेल

अत्यावश्यक

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 4/3/15

विषय: **अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। अवगत हैं कि राज्य सरकार की नीति रही है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अंचल के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनका टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से स्थल पर पहुँचें एवं जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश / निदेश दिये गए हैं।

2. अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन / जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र **(SEOC)** दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न, नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध

कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(iv) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(v) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/ पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vi) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटा प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :–

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से परी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी–सिगरेट पीकर इधर–उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें–क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु अद्यतन संशोधित मानदर की पुस्तिका जिलों को उपलब्ध करायी गई है। संशोधित मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अद्यतन संशोधित मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार

इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं हैं, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0– यथा उपर्युक्त।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

आगजनी से बचाव हेतु उपाय

क्या करें

- स्टोव या लकड़ी, गोइठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधनी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनावें।
- गेहूँ ओसनी का काम हमेशा रात में तथा गॉव के बाहर खलिहान में जाकर करें।
- घर व खलिहान पर समुचित पानी व बालू की व्यवस्था रखें।
- खाना पकातें समय रसोईघर में वयस्क मौजूद रहें, बच्चों को अकेला न छोड़ें।
- खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुँच पाए, इस बात की पूरी तसल्ली कर लें।
- सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी सम्पत्ति में आग लगाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद कर जागरूक नागरिक अवश्य बनें।
- तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें या सिर्फ बेकिंग सोडा, नमक डालें या उसे ढंक दें।
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपको मदद चाहिए।
- गैस चूल्हे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सिलिंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें।
- बिजली तारों एवं उपकरणों की नियमित जाँच करें।
- घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालिन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में पता हों।
- आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बतायें फिर दमकल विभाग जैसा कहें वैसा ही करें।

क्या न करें

- बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास न जाने दें।
- बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहाँ–तहाँ न फेंकें, उसे पूरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें।
- चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोडें।
- अनाज के ढेर, फूस या खपड़ैल की झोपड़ी के निकट अलाव व डीजल इंजन नहीं चलाएं।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएँ।
- आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए बल्कि जमीन पर लेटकर गोल–गोल कर आग बुझावें।
- खाना बनाने के समय ढीले–ढाले कपड़े न पहनें।
- अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
- गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्वीच को न छुऐं।
- खाना पकाते समय रसोईघर में बच्चों को अकेला न छोड़े।

प्रपत्र–I

प्रपत्र (अग्निकांड)

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रभावित गाँवों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			मृतकों / घायलों की संख्या			
				पूर्ण	आंशिक	योग	मनुष्य		पशु	
							मृत	घायलों की सं0	मृत	घायलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुफ्त खाद्यान्न के लिए कुल राशि	कपड़ा / बर्तन के लिए कुल राशि	पूर्ण क्षतिगस्त मकानों के लिए कुल राशि	आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि	अनुग्रह अनुदान मृतकों के लिए कुल राशि	घायलों के लिए अनुदान मद में कुल राशि
12	13	14	15	16	17

प्रपत्र–II

वित्तीय वर्ष 2015 में अग्निकांड से हुई क्षति एवं वितरित साहाय्य संबंधी विवरणी

जिला का नाम	प्रभावित प्रखंड का नाम	प्रभावित पंचायतों की सं0	प्रभावित गांवों की सं0	प्रभावित परिवारों की सं0	क्षतिग्रस्त मकानों की सं0			क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक क्षति का अनुमानित मूल्य	मृतकों की संख्या		नगद अनुदान	वितरित अनुदान
					पूर्ण	आंशिक	योग			मनुष्य	पशु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

मुफ्त खाद्यान्न	चूड़ा	चना	गुड़	मोमबत्ती	दियासलाई	किरासन तेल	पॉलिथीन	अभ्युक्ति
15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रपत्र–III

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों एवं ऐसे जले मकानों के लिए उपलब्ध कराई गई इन्दिरा आवास की सूची वर्ष 2015

जिला का नाम .....

प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों की अंचलवार संख्या	प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों के लिए निर्मित इन्दिरा आवास की संख्या		अभ्युक्ति
	स्वीकृत	निर्मित	
1	2	3	4

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006...1834/ आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

FAX

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8.6.12

विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–52(प्र0) दिनांक–26.05.2012 के द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश भेजा गया है, जिसमें पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त सुबह–शाम आवश्यकतानुसार दूध मुहैय्या कराने का प्रावधान भी किया गया है। दूध की आपूर्त्ति कॉम्फेड द्वारा किया जाना है तथा वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में जिलों से पृच्छा की गई है कि बच्चों को मुहैय्या कराये जाने वाले दूध की मात्रा क्या होगी तथा कॉम्फेड द्वारा दूध उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दूध का क्रय कहॉ से किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राहत कैम्पों में सुबह–शाम 250–250 मि0ली0 दूध 5 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जाय। कॉम्फेड द्वारा दूध नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता का दूध का क्रय किया जा सकता है। दूध संक्रमणमुक्त हो, इसकी जांच भी जिला पदाधिकारी करा लेंगे।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006.....52 (प्र0)..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–26.05.12

विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।

महाशय,

ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की घटनायें होती रहती है। अग्निकांड की छिटपुट घटनायें होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को निर्धारित मानदर के अनुरूप सहाय्य प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु भीषण अग्निकांडों, जिसमें काफी संख्या में झोपड़ियां/कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते हैं तथा जानमाल की गंभीर क्षति होती है, से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत केन्द्रों में आवासित करने की आवश्यकता हो सकती है।

अतएव जिला पदाधिकारी भीषण अग्निकांडों में आवश्यकतानुसार विशेष राहत केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं। यह विशेष राहत केन्द्र कम अवधि के लिए चलाए जायेंगे जिसका निर्धारण स्थिति विशेष के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार अनुदान का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित करेंगे। मुफ्त साहाय्य एवं गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए ताकि पीड़ित परिवार अपने अस्थायी आवासन की व्यवस्था कर लें। तब विशेष कैम्प की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे राहत केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाएगी :–

1. **कैम्प कार्यालय** – कैम्प कार्यालय खोलकर प्रभावित परिवारों का पंजीयन कर लिया जाय जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज की जाय। इस कार्य हेतु हल्का कर्मचारी। पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक/आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका की सेवा ली जा सकती है
2. **आवासन**– घटना स्थल के समीप किसी सरकारी पक्का मकान यथा विद्यालय भवन /सामुदायिक भवन/आंगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत भवन आदि के परिसर में अथवा टेन्टों में प्रभावित परिवारों को आवासित किया जाय। यदि टेन्ट उपलब्ध न हों तो आपदा प्रबंधन विभाग को त्वरित गति से सूचित किया जाए ताकि अन्य जिलों में उपलब्ध टेन्ट उक्त जिले में भेजवाए जाए।

3. **भोजन**– प्रभावित परिवारों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह –शाम) मुहैया कराया जाना है। इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी एवं ईंधन की आवश्यकता होगी। यह प्रयास रहे कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने का कार्य यथा संभव स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी । कैम्प में आये हुए विस्थापित महिलाओं/पुरूषों की सेवायें इस कार्य हेतु ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी। पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए।

इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।

4. **दरी /चटाई**– विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
5. **वस्त्र एवं बर्त्तन** – विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक–27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का क्रय कर सके।
6. **बच्चों के लिए दूध**– पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह–शाम) आवश्कतानुसार दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा।
7. **रोशनी**– कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।
8. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता**– पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटजेन्ट पाउडर, फेनाईल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।
9. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा**– कैम्प में औषधि के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। नये संशोधित मानदर के अनुसार चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) द्वारा दिया जाना है।
10. **सुरक्षा व्यवस्था**– अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायेगी।
11. **संचार सुविधा**– आवश्यक सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
12. **मानदर**– कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:–

1. पका हुआ भोजन	(क) दो वक्त (सुबह–शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा।
	(ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए, चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा।
	(ग) चावल प्रति व्यस्क–500 ग्राम, प्रति अवस्क–200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा।
	(घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा।
	(ड़) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से।
	(छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
	(ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय कय समिति द्वारा किया जाएगा।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारिण जिला स्तरीय कय समिति द्वारा किया जाएगा।
	(ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. दरी/चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संख्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार कय करने की कार्रवाई करेंगे।

4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र / बर्त्तन	(क) विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक– 27.04.2012 के द्वारा अग्निकांड आपदा के उपरान्त राहत वितरण के संबंध में संशोधित मानदर परिचारित है। उक्तानुसार बस्त्र के लिए ₹ 1300 प्रति परिवार तथा बर्तन के लिए ₹ 1400 प्रति परिवार की राशि का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाय ताकि प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र/बर्त्तन का कय कर सके।
6. पेयजल/अस्थायी शौचालय/स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा NRHM मद से की जायेगी।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय एस0डी0आर0एफ0 मद से अनुमान्य होगा।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय–यथा आवश्यकता।

13. **लेखा/पंजियों का संधारण**– कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियों संधारित की जाएगी।

(क) लेखा संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग

से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ध) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा। बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा–जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा:–

क्र0सं0	मद	शीर्ष
1	भोजन सामग्री	2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति
2	दरी/चटाई एवं रोशनी	2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण
3	वस्त्र एवं बर्त्तन	2245–02–101–0007– क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान
4	बच्चों के लिए दूध	2245–02–800–0006–कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार
5	पेयजल	2245–02–102–0001–पेयजल की आपूर्ति
6	अस्थायी शौचालय	2245–02–109–0001–खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना
7	संचार सुविधा	2245–02–112–0004–संचार उपकरणों का क्रय

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....52 (प्र0)...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–26.05.12

प्रतिलिपि–माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ । अनुरोध है कि इसे माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के अभिज्ञान में लाया जाए।

प्रधान सचिव

122

पत्रांक -I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार

पटना-15, दि0- 21/4/08

विषय :राज्य के कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अग्निकांड से खेत और खलिहान के फसल की क्षति को सी0आर0एफ0 के अनुमान्य मदों में समावेशित करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गयी थी। विभागीय पुनर्समीक्षा में यह स्थिति सामने आयी कि सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत केन्द्रीय मानदर के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के निर्धारित कृषि इनपुट अनुदान का मानदर अग्निकांड से फसल क्षति (खेत एवं खलिहान) में भी लागू होगा । इस बिन्दु की सम्पुष्टि हेतु विभागीय पत्रांक -1127 दि0-4.4.2007 द्वारा भारत सरकार, गृहमंत्रालय से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने इसे संपुष्ट किया है।

तत्पश्चात भारत सरकार के पत्र संख्या 32-34/2005/ए0डी0एम0-I दिनांक 27.02. 2007 से निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (वर्ष 2005-2010 के लिए) प्राप्त हुआ। इस परिचारित मानदर की मद संख्या 29 (1) में प्राकृतिक आपदा फायर (अग्निकांड) के लिए वर्त्तमान मानदर में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अग्निकांड के पश्चात दी जानेवाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात जीवन, अंग, **फसल**, संपत्ति इत्यादि की क्षति/हानि के मदों में निर्धारित है तथा साहाय्य की अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी।

अत: यह स्पष्ट है कि कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में वर्त्तमान मानदर के अनुसार साहाय्य निम्न रूप से देय होगा; जहां फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।

(121)

3. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/सीमान्त कृषकों को साहाय्य: 50% एवं अधिक फसल की क्षति होने पर ।	
(i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए।	➢ 2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए । ➢ 4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए । (क) परती (fallow) पड़े जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
(ii) "पेरिनियल" (शाश्वत्) फसल के लिए।	6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए। (क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नही दिया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
4. लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक; अनुवर्त्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक (उनके land holding अधिक ही क्यों नहीं हो) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा । ➢ 2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ 4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ 6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। ○ बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा।

(120)

कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी -

अग्निकांड की घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय अंचलाधिकारी अविलम्ब परन्तु किसी भी हालत में 24 घंटे के अन्दर उसकी जांच कराएंगे। जांच हल्का कर्मचारी तथा VLW की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। जांच उपरान्त निम्न बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन होगा:

i. खेत अथवा खलिहान में आग लगने से निश्चित रूप से फसल की क्षति हुई है।
ii. जिस फसल की क्षति हुई है, उसका विवरण तथा फसल किस खेत में लगाया गया था, उसका विवरण तथा सत्यापन।
iii. यह सत्यापित करेंगे कि क्षति उक्त भूमि के वास्तविक उपज का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है अथवा नहीं ।
iv. जिन परिवारों की फसल की क्षति हुई उनका विवरण वे लघु/सीमान्त कृषक परिवार हैं या भिन्न।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन का अंचल निरीक्षक तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करेंगे। उपर्युक्त सत्यापन के पश्चात अग्निकांड में हुई फसल क्षति का ब्यौरा अंकित करते हुए कृषक के नाम से अभिलेख तैयार की जाएगी तथा स्पष्ट अुनसंशा के साथ घटना के कारणों तथा क्षति का ब्यौरा अभिलेख में अंकित करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से जांच कराकर एवं संतुष्ट होकर अभिलेख की स्वीकृति देंगे तथा प्रभावित परिवार को निर्धारित मानदर के अनुरूप अनुदान का भुगतान अंचल पदाधिकारी के द्वारा चेक के माध्यम से की जाएगी। अनुदान का भुगतान मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष 0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मद से की जाएगी। आवंटन में कमी होने या अनुपलब्धता पर जिला पदाधिकारी पूर्व के आवंटन के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अतिरिक्त आवंटन की मांग करेंगे, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग नियमानुसार तथा बजट में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर यथोचित कार्रवाई तत्परता से करेगा ।

विश्वासभाजन,

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/08

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

(118)

ज्ञापांक - I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/08.

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त / निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- I प्रा0आ0-05/2007 1023 /आ0प्र0 दिनांक - 21/4/08

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

अनुमोदन हेतु प्रारूप
पत्रांक--
बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 2386 ग्रा०वि० पटना दिनांक 26/5/05
ग्रा०वि०-7/ई०आ०यो०(आ०नि०)-06/2004

प्रेषक

के०ए०एच०सुब्रमणियन,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय - इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के कंडिका 4.4.1 में संशोधन के आलोक में आपदा प्रभावित परिवारों को यथाशीघ्र इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की कंडिका 4.4.1 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा तथा आकस्मिक परिस्थिति यथा दंगा, सूखा, भूकम्प, आगजनी आदि जैसी परिस्थिति विशेष से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का 5 प्रतिशत निधि कर्णांकित रखा गया है । इस कर्णांकित निधि से राशि की विमुक्ति प्रत्येक जिला को 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की सीमा तक जिला से प्राप्त प्रस्ताव विभागीय अनुशंसा के साथ भारत सरकार को प्रेषित किये जाने पर किया जाता था तथा भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के पश्चात देय अनुपातिक राज्यांश की विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी ।

उपरोक्त जटिल प्रक्रिया को देखते हुये आपदा प्रभावित परिवारों को तुरत राहत पहुँचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के पत्रांक ... 6/2004- आर०एच०(पी०) दिनांक--15.04.2005 (प्रति संलग्न) द्वारा मार्गदर्शिका की कंडिका 4.4.1 में संशोधन करते हुये जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है कि जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) अथवा अन्य स्रोत से उपलब्ध राशि से ऐसे पीड़ित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण कराकर उन्हें पुनर्वासित करें । इस निमित्त

लाभान्वितों के लिए अन्य शर्तें इन्दिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ववत रहेगी । इस मद में जो राशि व्यय होगी उसकी प्रतिपूर्ति के लिये जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पूर्ण विवरणी सूचनाओं सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त संशोधन से स्पष्ट है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल ही पुनर्वासित करने की दिशा को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है । अतः इसे राज्य में जिला स्तर से पूरी पारदर्शिता के साथ इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है ।

अतः आप इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ ध्यान दें तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल ही राहत देने के लिये उनके क्षतिग्रस्त आवासों का निर्माण कराकर उन्हें पुनर्वासित करें तथा राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायें ताकि विभाग स्तर से भी उसका अनुश्रवण हो सके ।

मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 2886 दिनांक– 26/5/05

प्रतिलिपि –(अनुलग्नक सहित) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव